

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

विषय:- राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं में जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, उप सरपंच एवं पंचों के आम चुनाव 2015 की आदर्श आचार संहिता की पालना के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय में राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं में जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, उप सरपंच एवं पंचों के आम चुनाव 2015 की आदर्श आचार संहिता की पालना के सम्बन्ध में जारी आयोग के दिशा-निर्देशों (राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान की वेबसाइट [www.rajsec.rajasthan.gov.in](http://www.rajsec.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है) की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।



(अरविन्द कुमार छोलक)  
शासन सहायक सचिव

1. डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, सा.प्र0(ग्रुप-1) विभाग।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मंत्रिमंडल/स्टेट मोटर गैराज विभाग/नागरिक उड्डयन विभाग।
3. शासन उप सचिव, सा.प्र.(ग्रुप-5 व 6)/सम्पदा विभाग।

अशा0 टीप0 सं0 क्रमांक: प.15(8)साप्र/5/2014  
जयपुर, दिनांक:- 26.12.2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.प्र.वि।
02. प्रबन्धक, समस्त विश्राम भवन, राजस्थान।
03. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
04. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने बाबत।
05. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव